मध्य प्रदेश शासन

वन विभाग, मंत्रालय

आदेश

क्रमांक एफ 30/4/2002/10–3 भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल,2005

सर्गोच्च न्यागालग द्वारा गठित केन्द्रीय साधिकार समिति के पत्र दिनांक 21.3.2005 के द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर निम्नलिखित उद्योगों को राज्य शासन वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–30–4–2002–दस–3, दिनाक 8.8.2003 द्वारा घोषित प्रतिषिद्ध क्षेत्र के प्रभाव से मुक्त किया जाता है:।

(i) केन्द्र शासन , राज्य शासन या उनके उपक्रमों द्वारा संचालित आरा मशीनों एवं काष्ठ पर आधारित अन्य उद्योग।

(2) प्लाइवुड का निर्माण करने वाली ऐसीइकाईयॉं जो पूरी तरह राज्य के बाहर से आयातीत विनियर पर आधारित हों एवं जिनके पास काष्ठ को परिवर्तित/चिराई करने के लिये कोई उपकरण न हों।

आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

(आर.एन. सिंह)
अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन, वन विभाग

पृ.क्रमांक/एफ 30/4/2002/10–3 भोपाल, दिनांक 2 अप्रैल,2005

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्य प्रदेश।
2. प्रबंध संचालक, म. प्र. लधुवनोपज संध।
3. प्रबंध संचालक, म.प्र.राज्य वन विकास निगम
4. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश।
5. समस्त वन संरक्षक(क्षेत्रीय) मध्य प्रदेश।
6. समस्त जिलाध्यक्ष, मध्यप्रदेश।

समरत वन मंडलाधिकारी(क्षेत्रीय) मध्यप्रदेश।

अवर सचिव
मध्य प्रदेश शासन,
वन विभाग